



न्यायालय अपर जिला जज/एफ.टी.सी.1 प्रतापगढ़।

सिविल अपील सं०-42/2005

मिनहाज बनाम मकबूल हुसैन आदि।

दि०-02.11.2021

पुकार कराई गयी पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली आज प्रार्थनापत्र 35 क 2 निस्तारण हेतु नियत है। विपक्षीगण को आपत्ति दाखिल करने हेतु अवसर प्रदान किये गये, किंतु उनके द्वारा कोई आपत्ति पत्र दाखिल नहीं किया गया और प्रार्थनापत्र पर कोई आपत्ति नहीं, ऐसा लिखकर हस्ताक्षरित किया गया है तदनुसार प्रतिवादी द्वारा अवसर समाप्त करते हुये तदनुसार प्रार्थना पत्र 35 क 2 निस्तारित किया जाता है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना व पत्रावली का परिशीलन किया।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 35 क 2

प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व आदेश 6 नियम 17 जा० दी० वाद पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया कि उपरोक्त अपील में रेस्पाण्डेन्ट नं० 3 जमील उद्दीन का देहान्त दि०-28.02.2016 को हो गया है। मृतक के विधिक कायम मुकाम उसके पुत्रगण 3/1 मो० मोबीन उम्र 35 साल, 3/2 मो० मोईन उम्र 32 साल व 3/3 श्रीमती रुखसाना बानो है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य विधिक कायम मुकाम नहीं है। यही मृतक की तमामी जायदाद पर काबिज व दखील हैं। प्रार्थना पत्र कायम मुकामी स्वीकार करते हुए मृतक के विधिक कायम मुकाम उपरोक्त को उनके स्थान पर कायम मुकाम किया जाये और मेमो अपील में निम्न संशोधन की आज्ञा प्रदान की जाये। मेमो अपील के सेगा रेस्पाण्डेन्ट में मृतक रेस्पाण्डेन्ट जमील उद्दीन के नाम के सामने " मृतक दौरान अपील" लिखा जाये और मृतक के उपरोक्त कायम मुकामान को सेगा रेस्पाण्डेन्ट में लिखा जाये।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 35 क 2 शपथ पत्र 36 ग 2 व वकालतनामा से समर्थित है तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक-12.03.2021 को दिया गया जो अन्दर मियाद है।

उक्त संशोधन परिणामिक प्रकृति का है व स्वीकार करने में कोई वैधानिक बाधा नहीं प्रतीत होती है। अतः उक्त संशोधन न्यायहित में स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 35 क 2 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व आदेश 6 नियम 17 जा०दी० स्वीकार किया जाता है। अपील मेमो में तदनुसार (प्रार्थना पत्र में वर्णित धारा 1 व 2 के अनुसार) संशोधन अन्दर तीन दिन हो। पत्रावली दिनांक 23-11-2021 को अतिरिक्त सुनवाई हेतु पेश हो।